फर्द अहकाम
(नियम–25)

# अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़

हेमन्त सोनी पुत्र जगदीशचन्द
जाति स्वर्णकार निवासी झालरापाटन

बनाम

1. माणकचन्द पुत्र केसरीलाल जाति जाटव
निवासी झालरापाटन
2.उप पंजीयक झालरापाटन
3.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झा0 पाटन

किस्म मुकदमा :प्रार्थना पत्र 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट नम्बर 555 / 28.9.22 सन् 2022

| दिनांक हुक्म | कार्यवाही |
|---|---|
| 28.09.2022 | आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वकील श्री चन्द्रदीप सिंह चौहान ने इस आशय का पेश किया कि ग्राम करलगांव पटवार हल्का करलगांव तहसील बकानी की खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 1811/1618 रकबा 0.5311 है0 आराजी अप्रार्थी कमांक 1 के खाते दर्ज है जिसका बेचान इकरारनामा प्रार्थी को राशि 85,00000 अक्षरे पिच्चासी लाख रूपये लेकर बेचान इकरारनामा दिनांक 20.10.2021 को रूबरू गवाहन नोटेरी तस्दीक करवाकर आलेखित व निष्पादित कर दिया था उक्त इकरारनामे बेचान में पृष्ठ दो पर अंकित है कि " जमीन मौके पर क्रेतान को सम्भला दी है " जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी का बेचान अनुबन्ध इकरारनामे के मुताबिक प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं प्रार्थी को देय प्रतिफल अदा किया जा चुका है इस कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अप्रार्थी 01 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का विधिनुसार काबिज होने का अधिकारी है । अप्रार्थी नम्बर 1 अपने परिजनों के साथ व भू–माफियाओं से मिलकर षडयंत्र पूर्वक उक्त इकरारनामा व आराजी पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में होने के सभी वास्तविक तथ्यों को छुपाकर आराजी को बेक डेट में फर्जी तरीके से अनुबन्ध कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है यदि ऐसा हुआ तो वादी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा एवं व्यादेश जारी करने की कृपा करें कि अप्रार्थी दौरान वाद वर्णित आराजी की मौके और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । किसी प्रकार से हस्तान्तरिक या खुर्द–बुर्द नहीं करें, जबरन कब्जा ना करें ना ऐसा किसी अन्य से करावें ।<br><br>हमने बहस वकील वादी इकतरफा सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । प्राथर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । बाद अवलोकन एवं बहस इकतरफा सुनने के बाद प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है । प्रकरण में अप्रार्थी नम्बर 01 के विरूद्व जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है । प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद न्यायालय में दायर हो चुका है ।<br>अतः अप्रार्थी नम्बर 01 माणकचन्द पुत्र केसरीलाल जाति जाटव निवासी झालरापाटन को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम करलगांव तहसील बकानी के खाता संख्या 27 की खसरा नम्बर 1811/1618 रकबा 0.5311 है0 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । किसी प्रकार से हस्तान्तरित या खुर्द–बुर्द नहीं करें ना ऐसा किसी अन्य से करावें । अगर इस बाबत् को उज्र हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2022 को असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें । पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 17.10.2022 को पेश हो ।<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>झालावाड़<br>उपखण्ड अधिकारी<br>झालावाड़ (राज0) |
| 17/10/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। मूल वाद डिक्री किये जाने पर प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>झालावाड़ |